संख्या 13/21/93-का-1/1999

प्रेषक,

सुधीर कुमार
सचिव
उ0प्र0शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उ0प्र0शासन ।

समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी
उ0प्र0।

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
उ0प्र0 ।

कार्मिक अनुभाग-1। लखनऊ दिनांक 9 जुलाई 1999

विषय:- अधिकारियों द्वारा शिलान्यास एवं उद्घटान न किया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पार्श्वांकित समसंख्यक शासनादेशों को संदर्भित करते हुए शासन द्वारा यह निर्देश निर्गत किये गये थे कि अधिकारीगण किसी भी शिलान्यास अथवा उद्घाटन समारोहों, विकास योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत ऋण की धनराशि के वितरण समारोहों अथवा सहायता शिविरों में सामग्री के वितरण समारोहों में मुख्य अतिथि के रूप में भाग नहीं लेगे । अपितु शासन की स्पष्ट मंशा है कि ऐसे सभी समारोहों में मुख्य अतिथि/अध्यक्ष यथासंभव जनप्रतिनिधि . ही रहेगें तथा सरकारी कर्मचारीगण द्वारा इन समारोहों को हर संभव सहयोग देकर सबल बनाया जाय । किन्तु शासन की जानकारी में यह तथ्य लाये गये हैं कि उक्त निर्गत शासनादेशों में निहित आदेशों का अ कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है ।

1-सं0बी-1752/का-1/82दि010-12-82
2-सं016/2/83-का-1दि015-4-83
3-सं0 3एक्य/का-1/88दि021-4-88
4-सं013/21/93-का-1/93दि04-6-93
5-सं013/21/93-का-1/95दि02-2-95
6-सं013/21/93-का-1/98दि027-6-98

2- अतः इस संबंध में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा कार्यो के लिए स्वीकृत धनराशि के लिए किये जा रहे कार्य का कोई भी उद्घाटन अथवा शिलान्यास समारोह अथवा विकास कार्यो के अंतर्गत स्वीकृत ऋण की धनराशि का वितरण समारोह अथवा सहायता शिविरों में सामग्री का वितरण किये जाने अथवा ऐसे अन्य समारोहों में अधिकारीगण मुख्य अतिथि की हैसियत से भाग नहीं लेगें ।

भवदीय,

(सुधीर कुमार)
सचिव ।